

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक.-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20 /पार्ट-1/से0नि0/2019/475

दिनांक:- 9-4-2019

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	लीलम्मा के. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जालौर	21.05.59	02.02.84	31.05.19
2	अवन्ती विजय, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	झालावाड़	06.05.59	11.08.86	31.05.19
3	प्रेमलता महिला स्वास्थ्य दर्शिका	करौली	06.05.59	19.01.83	31.05.19
4	बैजयन्ती शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	करौली	01.09.59	12.09.86	31.08.19
5	कमलेश कुमारी वर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जयपुर-प्रथम	05.08.59	18.10.86	31.08.19
6	मरियम्मा कपील, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	बीकानेर	15.04.59	30.06.83	30.04.19
7	लीलम्मा जोन, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	कोटा	10.04.59	24.03.83	30.04.19
8	उषा के.बी., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	पाली	25.05.59	07.08.85	31.05.19
9	लीलम्मा वर्गिस, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	कोटा	31.05.59	22.04.87	31.05.19
10	विजयम्मा पी.के., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	बीकानेर	19.05.59	06.07.84	31.05.19

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-scl

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक.-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20 /पार्ट 1/से0नि0/2019/475

दिनांक:- 9-4-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अद्यत करायें :-

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर/जयपुर-प्रथम,/झालावाड़/ करौली/बीकानेर/कोटा/पाली।
- 4 खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर/सुनेल, (झालावाड़)/करौली/श्री डूंगरगढ़(बीकानेर)/ सुल्तानपुर,खेराबाद (कोटा)/रोहट (पाली)/
- 5 जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम।
- 6 डीपीसी अनुभ ग (नर्सिंग) मुख्यालय

- 7 सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 8 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 9 आदेश/निजी पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर